भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1417

दिनांक 03.05.2016/13 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

कृषि आदान राजसहायता

†1417. श्री दुष्यंत सिंहः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के संशोधित मानदंडों के अनुसार जिन किसानों की 33 प्रतिशत से अधिक फसल बर्बाद हो चुकी है, उन किसानों को दी गई कृषि आदान संबंधी राजसहायता का ब्यौरा क्या है और आदान संबंधी राजसहायता पर सरकार के व्यय का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का इरादा प्राकृतिक आपदाओं के कारण भारी नुकसान झेलने वाले किसानों की सहायता करने के मकसद से राजसहायता को वास्तविक प्रभावित क्षेत्र संबंधी आनुपातिक आधार पर तय करने का है अथवा क्षेत्र की अधिकतम सीमा वृद्धि करके उसे 5 हैक्टेयर करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का इरादा प्राकृतिक आपदाओं के कारण जिन किसानों की 33 प्रतिशत से अधिक फसल बर्बाद हुई है, उन्हें बिजली बिल से छूट प्रदान करने के लिए एसडीआरएफ मानदंडों को संशोधित करने का है;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो क्या सरकार कम से कम उन किसानों के मामले में, जिनकी फसल 33 प्रतिशत से ज्यादा गंभीर रुप से बर्बाद हुई है, के लिए छूट का यह उपबंध करने पर विचार कर रही है और इसलिए इस उपबंध हेतु उच्च सीमा (करीब 50 प्रतिशत) तय की गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू)

(क): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति के अनुसार, आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों की है। संबंधित राज्य सरकारें राज्य आपदा कार्रवाई कोष, जो उनके पास पहले से

मौजूद है, से अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के आने पर क्षति का आकलन और राहत अभियान चलाती हैं। किसानों को इनपुट सब्सिडी के संवितरण से संबंधित सूचना इस मंत्रालय द्वारा केन्द्रीयकृत रुप से नहीं रखी जाती है क्योंकि जमीनी वास्तविकता की गंभीरता के अनुसार जिला प्रशासनिक तंत्रों के अपने स्थापित चैनलों के माध्यम से जमीनी आधार पर राहत संबंधी गतिविधियां चलाना संबंधित राज्य का उत्तरदायित्व है।

तथापि, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, प्रभावित किसानों को एसडीआरएफ और राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई कोष से सहायता उपलब्ध कराई जाती है। मौजूदा मानदंडों में, अन्य बातों के साथ-साथ, केवल अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं (अर्थात् चक्रवात, बादल फटना, सूखा, भूकंप, सुनामी, बाढ़, ओला वृष्टि, भू-स्खलन, हिम-स्खलन, आग, कीट हमला, शीतलहर/पाला) के कारण सभी प्रकार की कृषि/बागवानी फसल को हुई क्षति के लिए कृषि इनपुट सब्सिडी (जहां फसल की क्षति 33 प्रतिशत और उससे अधिक है) के रुप में किसानों को सहायता का प्रावधान है। जहां फसल को हुई क्षति 33 प्रतिशत और उससे अधिक है, वहां यह 1000/-रु. से अनधिक न्यूनतम सहायता तथा बुवाई के क्षेत्रों तक सीमित के अध्यधीन, वर्षा सिंचित फसली क्षेत्रों के लिए 6800/-रु. प्रति हेक्टेयर, सीमित सिंचित क्षेत्रों के लिए 13,500/-रु. प्रति हेक्टेयर तथा 2000/-रु. से अनधिक न्यूनतम सहायता तथा बुवाई के क्षेत्रों तक सीमित के अध्यधीन, सभी प्रकार के बारहमासी फसली क्षेत्रों के लिए 18000/-रु. प्रति हेक्टेयर है।

प्राकृतिक आपदाओं के कारण एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के अंतर्गत वित्तीय सहायता राहत के रुप में होती है और यह हुई/दावा की गई क्षति के लिए मुआवजा नहीं है। नियमति योजनाओं के अतिरिक्त, किसान कृषि मंत्रालय की राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, के अंतर्गत मुआवजे के लिए हकदार है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता है।

(घ): जी, नहीं।

(ड.): प्रश्न नहीं उठता है।

(च): जी, नहीं।

(छ): प्रश्न नहीं उठता है।